उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–2
संख्याः 2920 / VII-II-11 / 68–रिट / 2008,
देहरादूनः दिनांकः 18 नवम्बर, 2011

कार्यालय–ज्ञाप

उत्तराखण्ड राज्य में स्थापित तथा भविष्य में स्थापित होने वाले स्टोन केशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट एवं पल्वराइजरों को अनुज्ञा दिए जाने में पर्यावरण संरक्षण, अवैध खनन की रोकथाम, प्रदेश के जन साधारण को प्रदूषण मुक्त वातावरण दिए जाने एवं ऐसी इकाईयों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए निम्नवत् नीति प्रख्यापित करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

उत्तराखण्ड के "पर्वतीय क्षेत्र" हेतु स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट एवं पल्वराइजर अनुज्ञा नीति, 2011

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (क) इस नीति का संक्षिप्त नाम "उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्र हेतु स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लांन्ट एवं पल्वराइजर अनुज्ञा नीति, 2011" है।

(ख) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

परिभाषाएं

2. जब तक इस नीति में अन्य कोई बात अपेक्षित न हो:–

(क) "राज्यपाल" से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत है:

(ख) "कलक्टर" से किसी जिले के राजस्व प्रशासन का मुख्य भार साधक अधिकारी अभिप्रेत है:

(ग) "सरकार" से उत्तराखण्ड राज्य सरकार अभिप्रेत है:

(घ) "आयुक्त" से किसी मण्डल के राजस्व प्रशासन का मुख्य भारसाधक अधिकारी अभिप्रेत है:

(ड़) "स्थानीय प्राधिकारी" से नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम और जिला बोर्ड का निकाय या अन्य प्राधिकारी, जो क्रमशः नगर पंचायत नगर पालिका, नगर निगम और जिला पंचायत के नियंत्रण या प्रबन्ध का का वैध रूप से हकदार है या जिसका नियंत्रण या प्रबन्ध सरकार द्वारा न्यस्त है:

(च) "व्यक्ति" के अन्तर्गत कोई कम्पनी या संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे निगमित हो या नही, सम्मिलत है:–

(छ) शब्द और पद, जो परिभाषित नहीं है परन्तु सामान्य खण्ड अधिनियम, 1904 में परिभाषित हैं, के वही अर्थ होंगे, जो उनके लिए उक्त अधिनियम दिये गये हैं।

(ज) "पर्वतीय क्षेत्र" से जनपद उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, चमोली, रूद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चम्पावत, (टनकपुर ब्लाक छोड़कर) नैनीताल (हल्द्वानी ब्लाक, रामनगर ब्लाक छोड़कर), देहरादून (सहसपुर ब्लाक, डोईवाला ब्लाक, रायपुर ब्लाक छोड़कर) क्षेत्र से अभिप्रेत है।

3. स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट का स्थान चयन हेतु समिति का गठनः—

(क) राज्य सरकार राज्य में कार्यरत स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट तथा स्थापित होने वाले ऐसे क्रेशर /प्लाटों के चयनित स्थल की जांच निम्नवत गठित समिति करेगी। समिति, संयुक्त निरीक्षण कर चयनित स्थल की रिर्पोट समिति के सदस्य सचिव के गाध्यम से सम्बन्धित जिलाधिकारी को प्रेषित करेगी तथा जिलाधिकारी द्वारा अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित प्रस्ताव निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, देहरादून को प्रस्तुत किया जायेगा। समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगेः—

- उपजिलाधिकारी (जिस क्षेत्र में प्रस्तावित/कार्यरत संयत्र) — अध्यक्ष
- प्रभागीय वनाधिकारी या उनका प्रतिनिधि — सदस्य
- उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्रतिनिधि — सदस्य
- भूवैज्ञानिक, जिला टास्क फोर्स कार्यालय — सदस्य
- खान अधिकारी/खान निरीक्षक — सदस्य सचिव

4— स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट हेतु मानकः—

क्र.सं.	स्थान	संयत्र से न्यूनतम दूरी
0	1	2
1.	सरकारी वन	100 मीटर
2.	नदी के किनारे से	100 मीटर
3.	धार्मिक स्थल (मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, चर्च आदि)	125 मीटर
4.	स्कूल, शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, या नर्सिंग होम	175 मीटर
5.	आवासीय भवन (एक परिवार का एक मकान)	125 मीटर
6.	आवासीय क्षेत्र (एक से अधिक मकान तथा एक से अधिक परिवार)	175 मीटर

(क) विशेष परिस्थितियों में समिति द्वारा स्टोन क्रेशर के स्थापना से संम्बन्धित किसी मानक को शिथिल किये जाने की संस्तुति के आधार पर शासन द्वारा उपरोक्त मानकों को शिथिल करते हुए स्टोन क्रेशर की स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान किया जा सकता है।

(ख) उक्त समिति का यदि समाधान हो जाये कि ऐसा करना आवश्यक है तथा क्रेशर का व्यवसायिक उपयोग न होने के दृष्टिगत, उन जल विद्युत परियोजनाओं, जिनके संबध में पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 (पर्यावरण प्रभाव आगणन अधिसूचना) जारी हो चुकी हो तथा जिनको वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत अनुमति प्राप्त हो गई हो, के सम्बन्ध में उक्त अधिसूचना तथा अनुमति के आधार पर आवश्यकतानुसार, परियोजना परिक्षेत्र के अर्न्तगत केवल परियोजनाओं में प्रयोग हेतु स्टोन क्रेशर उत्पादों के निमित्त स्टोन क्रेशर स्थापित करने के प्रयोजनार्थ वर्णित दूरियों में शिथिलता प्रदान करने की संस्तुति कर सकेगी।

5. स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट इकाई हेतु न्यूनतम क्षेत्रफल एवं क्षमता—:

क्र.सं.	संयत्र	उत्पादन क्षमता	क्षेत्रफल
1	स्टोन क्रेशर	क्षमता 200 टन प्रतिदिन तक	न्यूनतम क्षेत्रफल 1.5 एकड़
		200 टन प्रतिदिन से अधिक	प्रत्येक 100 अतिरिक्त टन अथवा उसके भाग पर 1/2 एकड़ अतिरिक्त
2.	स्क्रीनिंग प्लान्ट	क्षमता 200 टन प्रतिदिन तक	न्यूनतम क्षेत्रफल 1/2 एकड़
		200 टन प्रतिदिन से अधिक	प्रत्येक 100 अतिरिक्त टन अथवा उसके भाग पर 1/4 एकड़ अतिरिक्त

(क) समिति द्वारा स्टोनक्रेशर के स्थापना से सम्बन्धित किसी मानक को शिथिल किये जाने की संस्तुति के आधार पर शासन द्वारा स्टोन क्रेशर की स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान किया जा सकता है।

पल्वराइजर (**Pulverizer**) का स्थानः–

6. (क) राज्य सरकार राज्य में कार्यरत तथा स्थापित होने वाले पल्वराइजर हेतु निम्नलिखित समिति, संयुक्त निरीक्षण कर चयनित स्थल की रिर्पोट समिति के सदस्य सचिव के माध्यम से सम्बन्धित जिलाधिकारी को प्रेषित करेगी तथा जिलाधिकारी द्वारा अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित प्रस्ताव निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, देहरादून को प्रस्तुत किया जायेगाः–

- उपजिलाधिकारी (जिस क्षेत्र में प्रस्तावित/कार्यरत संयत्र) — अध्यक्ष
- उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्रतिनिधि — सदस्य
- भूवैज्ञानिक, जिला टास्क फोर्स कार्यालय — सदस्य
- खान अधिकारी/खान निरीक्षक — सदस्य सचिव

(ख) पल्वराइजर प्लान्ट केवल बन्द गोदाम में स्थापित होंगे।

स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट/पल्वराईजर प्लान्ट में कच्चेमाल/तैयार माल का भण्डारण एवं परिवहनः–

7. (क) स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट/पलवराईजर में कच्चेमाल/तैयार माल का भण्डारण एवं परिवहन उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2005 के प्राविधानों के अधीन करना होगा। जिसके अभिलेखों एवं भण्डारणों का परीक्षण जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी/उपजिलाधिकारी/ज्येष्ठ खान अधिकारी /खान अधिकारी/खान निरीक्षक (निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म द्वारा प्राधिकृत जनपद) द्वारा किया जायेगा।

(ख) स्टोन क्रैशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट परिसर में न्यूनतम् 15 फीट की ऊँचाई की चार दीवारी के अन्दर 13 फीट से अधिक ऊँचाई तक कच्चे माल/तैयार माल का भण्डारण न हो। यदि कच्चे माल/तैयार माल का भण्डारण की ऊँचाई निर्धारित मानक (बिन्दु 8 (ग) में वर्णित) से अधिक होती है, तो उक्त भण्डारण को अवैध भण्डारण मानते हुए स्टोन क्रेशर/ स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी के विरूद्ध उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2005 के अनुसार जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी/ उपजिलाधिकारी/ज्येष्ठ खान अधिकारी, खान अधिकारी/खान निरीक्षक (निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म द्वारा प्राधिकृत जनपद) द्वारा कार्यवाही की जायेगी।

स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट के स्वामी के दायित्वः–

8. (क) स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट रोड़ साईड कन्ट्रोल एक्ट के अनुसार स्थापित होना अनिवार्य है।

(ख) स्टोन क्रेशर प्लान्ट/स्क्रीनिंग प्लान्ट संयत्र (Equipment) परिसर की चार दीवारी (Boundary wall) के अन्दर मध्य में स्थापित होना चाहिए।

(ग) स्टोन क्रेशर प्लान्ट/स्क्रीनिंग प्लान्ट इकाई के चारो तरफ कम से कम 15 फीट ऊँची चार दीवारी का निर्माण इकाई की परिधि में किया जाना होगा। न्यूनतम 15 फीट की ऊँचाई की चार दीवारी के अन्दर अधिकतम 13 फीट ऊँचाई तक कच्चे माल या तैयार माल का भण्डारण किया जा सकेगा। यदि इकाई परिसर में 13 फीट से अधिक ऊँचाई के तैयार व कच्चे माल के भण्डारण की आवश्यकता है, तो चार दीवारी की ऊँचाई उक्त ऊँचाई

से 2 फीट प्रति 1 फीट कच्चे व तैयार माल की ऊँचाई के अनुसार बढ़ाई जानी होगी। चार दीवारी की डिजाईन सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर तैयार की जानी होगी। जिससे की चार दीवारी की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। ऊँचाई का सत्यापन खान अधिकारी/खान निरीक्षक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग (निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म द्वारा प्राधिकृत जनपद के लिए) एवं प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के प्रतिनिधि से कराया जाना होगा।

(घ) धूल के कणों का उत्सर्जन को रोकने की विधि (Dust Extractors) या धूल के कणों को हवा में उड़ने से रोकने की विधि (Water sprinklers) का प्रभावी उपयोग स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट की उत्पादन क्षमता के अनुरूप उपयोग करना होगा।

(ड.) ध्वनि प्रदूषण कम करने हेतु स्टोन क्रेसिंग संयत्र को बन्द दो दीवारों वाले चैम्बर में स्थापित किया जाना होगा।

(च) स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लांट के अन्दर के सभी मार्ग पक्के करने होंगे।

(छ) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट की सीमा के अन्दर सम्पूर्ण क्षेत्र में धूल को हटाने की व्यवस्था तथा भूमि पर पानी का नियमित छिड़काव किये जाने की व्यवस्था करनी होगी, जिससे धूल के कण हवा में न उड़ सके।

(ज) स्टोन क्रेशर इकाई/स्क्रीनिंग प्लान्ट इकाई की चार दीवारी के अन्दर कम से कम सात से दस मीटर चौड़ी तीन कतार में चारों तरफ धूल वाले कणों को रोकने वाली प्रजातियों के पेड़ो की हरित पट्टी का विकास कर उसको संरक्षित करना होगा तथा यह कार्यवाही अनुज्ञा प्राप्त करने के साथ ही प्रारम्भ करनी होगी तथा यह प्रक्रिया संयन्त्र चालू करने के समय अथवा छः माह की अवधि में पूर्ण कर ली जायेगी।

(झ) धूल व ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण में उपयोग होने वाली विधियां एवं उपकरण इकाई मालिक द्वारा अपने स्वंय के खर्च पर स्थापित करने होगें। धूल एवं ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण विधियों को स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट में अनवरत कार्यरत रखने की जिम्मेदारी स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी की होगी।

(ट) कच्चे या तैयार माल भण्डार की सतह जो कि वायु प्रदूषण करती है उसको पर्याप्त मात्रा में पानी के छिड़काव से गीला रखा जाना होगा, जिससे कि वायु प्रदूषण कम हो।

ध्वनि प्रदूषण के मानकः–

9. स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्थापित करने हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अधीन केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी/प्रख्यापित आदेशों/ अधिनियम में इंगित दिशा–निर्देशानुसार सभी मानक अनिवार्य रूप से पूर्ण करने होंगे।

स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट/प्लवराईजर पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रणः–

10. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 अनुपालन हेतु स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट/प्लवराईजर में धूल उत्सर्जन (SPM) नियन्त्रण एवं वर्णित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी एवं वायु गुणवत्ता, ध्वनि मापन मानकों के अनुसार मासिक रिपोर्ट एवं उपकरणों के रख–रखाव की रिपोर्ट प्रत्येक माह में स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट/प्लवराईजर के स्वामियों को उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विश्लेषण एवं परीक्षण कर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट/प्लवराईजर स्थापना हेतु प्रोत्साहन :–

11. (क) राज्य के अर्न्तगत चयनित राजस्व भूमि पर स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट/प्लवराईजर स्थापना हेतु उक्त भूमि को नीलामी के माध्यम से आवेदन कर्ता को पट्टे पर दी जायेगी जिसमें राज्य के स्थाई निवासी को प्राथमिकता दी जायेगी।

(ख)जनपद के स्टोन क्रेशर स्वामी को उपखनिज का खनन पट्टा दिये जाने में प्राथमिकता दी जायेंगी।

(ग) शासकीय निर्माण इकाईयों/संस्थाओं के द्वारा निर्माण कार्य हेतु ग्रिट आदि क्रय करने हेतु उपलब्धता एवं दरों के आधार पर स्थानीय स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट से भी प्रस्ताव प्राप्त करते हुए विचार किया जायेगा।

(घ) पर्वतीय क्षेत्र में पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की सुरक्षा के दृष्टिकोण से प्रत्येक जनपद में दस से अधिक स्टोन क्रेशर की स्थापना नहीं की जायेंगी परन्तु स्थानीय आवश्यकतानुसार समिति की स्पष्ट संस्तुति के उपरान्त शासन द्वारा शिथिलता प्रदान की जा सकती है।

(ड.)प्रदूषण कन्ट्रोल बोर्ड से स्टोन क्रेशर के संचालन हेतु प्रति वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रथा को शिथिल करते हुए प्रतिवर्ष पर्यावरणीय जांच/निरीक्षण आख्या में कोई प्रतिकूल आदेश न होने तक स्वतः चालू रखने की प्रक्रिया अपनायी जायेगी।

स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट/पल्वराईजर अनुज्ञा की स्वीकृति :

12. (क) इस नीति के उपरान्त प्रदेश में स्थापित/नवीनीकृत होने वाले स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट/पल्वराईजर अनुज्ञा हेतु पंजीकरण कराने से पूर्व भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग में प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन शुल्क रू0 50000.00 (रूपये पचास हजार मात्र) उत्पादन क्षमता 200 टन प्रतिदिन हेतु एवं उसके ऊपर प्रति 100 टन अथवा भाग पर 50,000.00 (रूपयें पचास हजार मात्र) के अतिरिक्त शुल्क निर्धारित लेखा शीर्षक 0853–अलौह धातु खनन एवं धातुकर्म उद्योग में जमा करा कर आवेदन निर्धारित प्रपत्र पर क्षेत्र का राजस्व मानचित्र एवं साईट प्लान जिसमें प्रस्तावित संयत्र का ब्यौरा अंकित हो निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग को जमा किया जायेगा।

(ख) निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग द्वारा पंजीकरण के उपरान्त तथा उत्तराखण्ड प्रदूषण बोर्ड से संयत्र चालू करने की अनुमति के उपरान्त सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इण्टरप्राईजेज एक्ट (MSME) के अधीन जिला उद्योग केन्द्र में रिटर्न दाखिल करना होगा।

(ग) वर्तमान में चालू स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट/पल्वराईजर भी उक्त मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगें।

(घ) पूर्व से चल रहे स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट/पल्वराईजर को नये स्थान पर इस नीति के लागू होने की तिथि से तीन वर्ष में स्थानान्तरित करना होगा। उक्त अवधि के अन्दर यदि वे उक्त इकाईयों को स्थानान्तरित नही करते है तो उनकी अनुज्ञा का नवीनीकरण अग्रेत्तर नही किया जायेगा। नीति के प्रख्यापन की तिथि से तीन वर्ष के अन्दर भी नई इकाईयों के लिए न तो ऐसे क्षेत्र में नयी अनुज्ञा की स्वीकृति दी जायेगी और न ही पुरानी अनुज्ञा की अवधि में विस्तार किया जायेगा। पुरानी इकाईयों के लिए कच्चा माल/तैयार माल के भण्डारण एवं परिवहन उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2005 के लिए भण्डारण की अनुज्ञा भी उक्तवत अवधि तक ही दी जायेगी। इस अवधि में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा Consent to operate की अनापत्ति निर्धारित मानको के पूर्ण होने की दशा में प्रदान की जायेगी।

(ड.) प्रस्तर 3(क) एवं 5(क) के अर्न्तगत विभिन्न विभागों की गठित समिति स्थापित होने वाले एवं चालू स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट/पल्वराईजर प्लांट के नवीनीकरण हेतु सदस्य सचिव के माध्यम से समिति, संयुक्त निरीक्षण कर चयनित स्थल की रिर्पोट सम्बन्धित जिलाधिकारी को प्रेषित किया जायेगा तथा जिलाधिकारी द्वारा अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित प्रस्ताव निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, देहरादून को प्रस्तुत किया जायेगा। निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग द्वारा उक्तानुसार संस्तुति सहित प्रस्ताव शासन स्तर से अनुज्ञा स्वीकृति दिये जाने हेतु शासन को उपलब्ध कराया जायेगा, जिस पर आवश्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा (03) तीन वर्ष की अवधि के लिए अनुज्ञा स्वीकृति हेतु विचार किया जायेगा।

(च) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट/पल्वराईजर प्लान्ट की अनुज्ञा का नवीनीकरण (03) तीन वर्ष की समय सीमा के पश्चात् किया जायेगा।

राकेश शर्मा
प्रमुख सचिव

पृष्ठांकन संख्याः (1)/VII-II-11/68–रिट/2008, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमांयू, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, उद्योग, उद्योग/भूतत्व एंव खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. प्रबन्ध निदेशक, गढ़वाल मण्डल विकास निगम/कुमांयू मण्डल विकास निगम/उत्तराखण्ड वन विकास निगम।
8. गोपन अनुभाग।
9. निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय रूड़की, जनपद हरिद्वार को आगमी गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

किशन नाथ
अपर सचिव